पूर्ण बेंच

समक्ष एस.एस. संधावालिया, मुख्य न्यायाधीश., राजेंद्र नाथ मित्तल और गोकलचंद मित्तल, न्यायाधीश

आर ए जे कुमार उर्फ पृथ्वी सिंह और एक अन्य, अपीलकर्ता।

बनाम

अमर सिंह और अन्य, *उत्तरदाता।*

***नियमित द्वितीय अपील सं.* 1979 *का* 1572 .**

अप्रैल 22, 1980.

*सिविल प्रक्रिया संहिता (*1908 *का वी) - धारा* 107 (2) और आदेश 7 नियम 11 (सी) - *अपील ज्ञापन पर अपर्याप्त रूप से मुहर लगाई गई* है - अप्पेल-लेट कोर्ट - क्या अपीलकर्ता को इसे अस्वीकार करने से पहले कमी को पूरा करने के लिए कहने के लिए बाध्य है - *आदेश* 7 नियम 11 (सी) - *उच्च न्यायालयों के बीच विचारों में भिन्नता - यह उच्च न्यायालय और इसके पूर्ववर्ती न्यायालय कई दशकों से लगातार एक ही दृष्टिकोण का पालन कर रहे हैं* - घूरने का सिद्धांत - *क्या लागू किया जाना चाहिए।*

यह माना गया कि अधिकार क्षेत्र में लंबे समय से रखे गए दृष्टिकोण को पेटेंट आधार के अलावा परेशान नहीं किया जाना चाहिए कि यह या तो स्पष्ट रूप से गलत है या इस तरह का है कि इसका पालन करना एक त्रुटि को बनाए रखना होगा और इसके परिणामस्वरूप सार्वजनिक शरारत होगी। यह वास्तव में यहां मामला होने से बहुत दूर है और इसलिए, अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत पर अदालत इस न्यायालय के भीतर और लाहौर की पूर्ववर्ती अदालत में भी लंबे समय से चली आ रही राय के अनुरूप होने के लिए इच्छुक हैं और यह मानती है कि अपील के ज्ञापन के मामले में सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 7 के नियम 11 का उप-नियम (सी) लागू नहीं होता है। इसलिए, अपीलीय अदालत अपीलकर्ता को अदालत-शुल्क में कमी को पूरा करने के लिए बुलाने के लिए बाध्य नहीं है और यदि उसके ज्ञापन में कानून द्वारा निर्धारित अदालत-शुल्क नहीं है, तो वह सीधे अपील को अस्वीकार कर सकता है। (पैरा 11 और 15)।

माननीय न्यायमूर्ति गोकल चंद मित्तल द्वारा 9 अगस्त, 1979 *को मामले में शामिल कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न पर राय के लिए पूर्ण पीठ को मामला भेजा गया। पूर्ण पीठ में माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री एसएस संधावालिया शामिल हैं। माननीय न्यायमूर्ति राजिंद्र नाथ मित्तल और माननीय न्यायमूर्ति गोकुल चंद मित्तल ने 22 अप्रैल, 1980 को मामले को एकल न्यायाधीश के पास भेज दिया है। एकल माननीय न्यायमूर्ति गोकल चंद मित्तल की एकल पीठ ने अंततः 7* अगस्त, 1980 को मेरिट के आधार पर मामले का फैसला किया।

हिसार के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश श्री एस. के. जैन की अदालत की डिक्री से नियमित द्वितीय अपील, दिनांक 29 *दिसंबर, 2018,*

1978 में *हिसार के प्रथम श्रेणी के उप-न्यायाधीश श्री ई. एल. आर. गोयल की पुष्टि करते हुए दिनांक 26 जनवरी,* 1978 *को वादी के वाद को लागत के साथ खारिज कर दिया गया।*

पी. सी. मेहता, हरि खन्ना, एच. एन. मेहतानी के साथ एडवोकेट। हस्तक्षेपकर्ता के रूप में वकील।

प्रतिवादी की ओर *से वकील वी. एम. जैन*.

निर्णय

एस.एस. संधावालिया, मुख्य न्यायाधीश

1. क्या सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 7 के नियम 11 का उप-नियम (सी) संहिता *की धारा 107 की उप-धारा (2) के प्रावधानों के आधार पर अपील के ज्ञापनों में परिवर्तन लागू करता है, यह सार्थक प्रश्न है जिसके कारण संक्षेप में पूर्ण पीठ को संदर्भित करना आवश्यक हो गया है।*

2. यह स्पष्ट है कि उपर्युक्त मुद्दा पूरी तरह से कानूनी है और तथ्यों का कोई भी विस्तृत संदर्भ, इसलिए, शायद ही प्रासंगिक होगा - इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि हम केवल कानून के सवाल पर फैसला करने के इच्छुक हैं, योग्यता के आधार पर निर्णय विद्वान एकल न्यायाधीश पर छोड़ दिया गया है। इसलिए, यह ध्यान देने के लिए पर्याप्त है कि वादी-अपीलकर्ताओं द्वारा पसंद किया गया मुकदमा एक सामान्य घोषणात्मक था जिसमें दावा किया गया था कि एक पंजीकृत विलेख द्वारा निर्दिष्ट कृषि भूमि की बिक्री आवश्यकता और विचार के बिना थी और इसलिए, वादी पर बाध्यकारी नहीं थी और परिणामस्वरूप उनके मालिकाना अधिकारों को प्रभावित नहीं करती थी। ट्रायल कोर्ट ने 28 जनवरी, 1978 को मुकदमा खारिज कर दिया। इसके खिलाफ अपील 18 अप्रैल, 1978 को शुरू की गई थी, और न्यायालय-शुल्क अधिनियम में हरियाणा राज्य द्वारा किए गए कुछ संशोधनों पर भरोसा करते हुए, प्रतिवादियों ने अपीलीय न्यायालय के समक्ष आपत्ति जताई कि अपील के ज्ञापन पर 30 रुपये की मुहर लगनी चाहिए थी, जबकि वास्तव में केवल 25 रुपये की अदालत फीस लगाई गई थी। यह स्थिति किसी भी गंभीर विवाद में नहीं होने के कारण, वादी-अपीलकर्ताओं ने अदालत-शुल्क में कमी को पूरा करने की अनुमति देने के लिए प्रार्थना की, लेकिन इस आपत्ति के साथ विरोध किया गया कि अपील दायर करने की सीमा समाप्त हो गई है, उन्हें अब ऐसा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। प्रतिवादियों की ओर से श्रीमती *अमर कौर* बनाम *भारत पर भरोसा जताया*

गया।- इकबाल सिंह और अन्य^ (1) और *जबर सिंह बनाम शादी* (2)।

1. 1971 पी.एल.जे.
2. 1978 पी.एल.आर. 681.

3.अपीलीय अदालत ने तथ्यों पर कहा कि अपीलकर्ताओं को अदालत-शुल्क में कमी को पूरा करने की अनुमति देने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 149 के तहत विवेकाधिकार के प्रयोग का कोई आधार नहीं बनाया गया था। हालांकि, एक और निष्कर्ष निकाला गया (जो अब विवाद की जड़ में है) कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7, नियम 11 (सी) में अपील के लिए कोई आवेदन नहीं था और इसलिए, अपीलीय न्यायालय वादी-अपीलकर्ताओं को अदालत-शुल्क में कमी को पूरा करने के लिए कहने के लिए बाध्य नहीं था और यदि ज्ञापन में कानून द्वारा निर्धारित अदालत-शुल्क नहीं था तो वह सीधे अपील को अस्वीकार कर सकता था। यही वह दृष्टिकोण है जिस पर न्यायिक राय में व्यापक भिन्नता प्रतीत होती है और इसलिए, इस पर सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है।

4. हालांकि, उपरोक्त मुद्दे के मूल में विज्ञापन देने से पहले शायद एक ऐसे मामले का निपटारा करना उचित है जिस पर आभासी सर्वसम्मति प्रतीत होती है। पक्षकारों के विद्वान वकील इस बात से सहमत थे कि संहिता की धारा 149 निस्संदेह स्थिति की ओर आकर्षित होती है और इसलिए अपीलीय न्यायालय के पास किसी भी स्तर पर अपीलकर्ताओं को कमी को पूरा करने की अनुमति देने का विवेकाधिकार है। यदि इस विवेकाधिकार का प्रयोग अपीलकर्ताओं के पक्ष में किया जाता है, तो अपरिहार्य प्रभाव यह होगा कि धारा 149 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए अपील के ज्ञापन पर अदालत-शुल्क का भुगतान किया गया माना जाएगा। अब तक वास्तव में कोई विवाद प्रतीत नहीं होता है और वकील इस बात पर सहमत थे कि यह निर्धारित करना विद्वान एकल न्यायाधीश का काम होगा कि क्या प्रथम अपीलीय न्यायालय ने वास्तव में धारा 149 के तहत विवेकाधिकार का सही उपयोग किया था और यदि नहीं, तो वह स्वयं वादी-अपीलकर्ताओं के पक्ष में ऐसा कर सकता है। इसलिए, संहिता की धारा 149 के तहत इस पहलू पर और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि न तो सिद्धांत रूप में और न ही मिसाल पर अब कोई टकराव है जो निर्धारण के योग्य है और यह मामला अब गुरदयाल सिंह बनाम गुरदयाल सिंह बनाम भारत मामले में इस न्यायालय की खंडपीठ के निर्णय द्वारा पूरी तरह से कवर किया गया है । *मस्सा सिंह और अन्य* (3)। इसमें इसे संदर्भ आदेश (जिसके तर्क को डिवीजन बेंच द्वारा अपनाया गया था) में निम्नानुसार रखा गया था: —

> "अंतिम विश्लेषण में, इसलिए, यह माना जाना चाहिए कि नागरिक प्रक्रिया संहिता की धारा 148 और 149 इस न्यायालय या नीचे की अदालतों में प्रस्तुत अपीलों के साथ-साथ मूल परीक्षणों में मुकदमों के लिए भी समान रूप से आकर्षित होती हैं। लागू

1. 1977 पी.एल.आर.

ऊपर उल्लिखित निर्णयों के अनुपात से, यह स्पष्ट है कि जब तक न्यायालय इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचता है कि वादी *दुर्भाविनापूर्ण* या दूषित कार्य कर रहा था , अपीलकर्ता धारा 149 के लाभ का हकदार होगा और उसे अदालत-शुल्क में कमी को पूरा करने की अनुमति देकर उसके पक्ष में विवेक का प्रयोग किया जाना चाहिए।

5.अब कोई इस मूल मुद्दे पर विचार कर सकता है कि क्या संहिता का आदेश 7, नियम 11 (सी) अपील के ज्ञापनों पर समान रूप से लागू होता है, जिसके आवश्यक परिणाम यह हैं कि अपीलीय न्यायालय को अपीलकर्ताओं से एक निश्चित समय के भीतर कम स्टाम्प बनाने की भी आवश्यकता होगी और ऐसा करने में विफल रहने पर ही वह उस स्कोर पर अपील को अस्वीकार करने के लिए आगे बढ़ सकता है। इस विवाद की सराहना करने के लिए, जो स्पष्ट रूप से एक उलझा हुआ विवाद है, संहिता के प्रासंगिक भागों को पहले निर्धारित किया जाना चाहिए: –

"एस 107। (1) ऐसी शर्तों और सीमाओं के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएँ, अपीलीय न्यायालय को शक्ति होगी -

1. * **
2. * **
3. * **
4. * **

1. पूर्वोक्त के अधीन रहते हुए, अपीलीय न्यायालय के पास वही शक्तियां होंगी और वह लगभग वही कर्तव्यों का पालन करेगी जो इस संहिता द्वारा मूल क्षेत्राधिकार के न्यायालयों पर स्थापित मुकदमों के संबंध में प्रदत्त और अधिरोपित किए गए हैं।

आदेश 7, नियम 11.

वाद-पत्र की अस्वीकृति - वाद को निम्नलिखित मामलों में अस्वीकृत किया जाएगा :-

1. जहां यह कार्रवाई के कारण का खुलासा नहीं करता है;
2. जहां दावा की गई राहत को कम आंका जाता है, और वादी, अदालत द्वारा निर्धारित समय के भीतर मूल्यांकन को सही करने के लिए अदालत द्वारा आवश्यक होने पर, ऐसा करने में विफल रहता है;
3. जहां दावा की गई राहत का उचित मूल्यांकन किया जाता है, लेकिन वाद कागज पर अपर्याप्त रूप से मुद्रित होता है, और वादी, अदालत द्वारा निर्धारित समय के भीतर अपेक्षित स्टाम्प-पेपर की आपूर्ति करने के लिए अदालत द्वारा आवश्यक होने पर, ऐसा करने में विफल रहता है;

4. जहां वाद वाद में दिए गए कथन से प्रतीत होता है कि किसी भी कानून द्वारा प्रतिबंधित किया जा सकता है।

प्रदान किया गया * *** *
** * * : *»

प्रारंभ में ही अब इस बात पर प्रकाश डाला जा सकता है कि हमारे सामने जो मूल मुद्दा है, उस पर 70 वर्षों से अधिक समय तक संहिता के लागू होने के बाद से न्यायिक राय में इतना तीव्र और दीर्घकालिक मतभेद प्रतीत होता है कि मुझे सिद्धांत रूप में इस मुद्दे की फिर से जांच करना स्पष्ट रूप से व्यर्थ प्रतीत होता है। वास्तव में मेरा इरादा इस मुद्दे पर परस्पर विरोधी न्यायिक साहित्य के बड़े पैमाने पर और जोड़ने का नहीं है। इसलिए, मोटे तौर पर अलग-अलग राय की दो पंक्तियों पर ध्यान देना पर्याप्त होगा जो पिछले तीन स्कोर वर्षों और दस वर्षों में एक बैठक बिंदु की उम्मीद के बिना एक-दूसरे के समानांतर चल रही हैं। हालांकि विवाद के बीज पिछली नागरिक प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों से बहुत पहले ही निकल गए थे, लेकिन मुझे 1908 में वर्तमान संहिता के लागू होने के बाद न्यायिक राय के टकराव पर ध्यान देने के लिए पर्याप्त प्रतीत होता है;.

6.सबसे पहला फैसला जिसमें नोटिस की मांग की गई है, वह है बॉम्बे हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने *अच्युत रामचंद्र पाई और अन्य* मामले *मेंनयप्पा बाह बलगामी और अन्य* (4) ने स्पष्ट रूप से यह विचार व्यक्त किया कि अपील का ज्ञापन वाद के समान ही है और संहिता के आदेश 7 नियम 11 (सी) का प्रावधान धारा 107 (2) के आधार पर उस पर समान रूप से लागू होगा। हालांकि, मुश्किल से एक साल बाद मद्रास उच्च न्यायालय की खंडपीठ *ने अक्काराजू नारायण राव* बनाम *मद्रास उच्च न्यायालय में फैसला सुनाया।अक्काराजू शेषम्मा और अन्य*(5) ने इस फैसले की शुद्धता पर गंभीरता से संदेह किया (हालांकि, बिंदु को विस्तृत किए बिना) और विपरीत दृष्टिकोण अपनाया। इसके बाद मद्रास उच्च न्यायालय में मिसाल की धारा लगातार बनी रही, हालांकि यह केवल बाद में *पामिदिमुखला सीतारमैया और अन्य बनाम अन्य मामले में खंडपीठ के फैसले में था* । *पीठ की ओर से बोलते हुए इवातुरी रमैया और एक अन्य*(6) ने बॉम्बे हाईकोर्ट से अलग दृष्टिकोण अपनाने के लिए विस्तृत आधार बताए कि आदेश 7, नियम 11 (सी), सिविल प्रक्रिया संहिता, अपील के ज्ञापन पर कोई लागू नहीं होता है।.

1. ए.आई.आर. 1914 बॉम्बे 249.
2. ए.आई.आर. 1915 मद्रास 426.
3.ए.आई.आर. 1938 मद्रास 316.

7. ऊपर देखे गए संघर्ष के अनुरूप, अन्य उच्च न्यायालयों में न्यायिक राय ने बाद में दो अलग-अलग और अलग-अलग चैनलों (बॉम्बे या मद्रास के दृष्टिकोण से सहमत) में खुद को विभाजित किया है - एक का मानना है कि आदेश 7, नियम 11 (सी) अपीलीय मंच के लिए समान रूप से आकर्षित था, जबकि दूसरा इसके विपरीत था। ऐसा लगता है कि यह विवाद समाधान की किसी भी उम्मीद के बिना जारी रहा है और पक्षकारों के विद्वान वकील द्वारा संयुक्त रूप से बार में हमारे सामने कहा गया था कि अभी तक इसे विराम देने वाले अंतिम न्यायालय का कोई निर्णय नहीं दिया गया है। इस स्थिति में मुझे यह निरर्थक लगता है कि अब इस मामले की पहले सिद्धांत पर जांच शुरू करना या विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा प्रदान किए गए असंख्य प्राधिकारियों के तर्कों में अंतर करना शुरू करना निरर्थक है। यह ध्यान देने के लिए पर्याप्त है कि *अच्युत रामचंद्र पई और अन्य के मामले में बॉम्बे उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया* था। *नयप्पा बाब बलगया और अन्य* (सुप्रा), *फलटण बैंक* बनाम *बाबूराव अप्पाजीराव* और एक अन्य (7), बहुरिया रामसवारी कुएर *में पटना उच्च न्यायालय और एक अन्य बनाम पटना उच्च न्यायालय* । *दुल्हिन मोतीराज कुएर और अन्य* (8), *सरजुग प्रसाद साहू और अन्य* वी। *सुरेंद्रपत तिवारी और अन्य(9), रामगीता सिंह* बनाम *शिताब सिंह और एक अन्य* (10), *गजाधर भगत और अन्य मोती चंद भगत।* (11), *महाबीर राम और एक अन्य* वी। *कपिलदेव पाठक और अन्य* (12), देवराज में अवध के मुख्य न्यायालय *कुंज बिहारी और अन्य* (13), *हर प्रसाद* वी। *कपूरतुहाला एस्टेट और अन्य* (14), *हुसैन एयू खान और अन्य* वी। *अंबिका प्रसाद* (15), और न्यायिक आयुक्त की अदालत *श्री हेम चंद्र सरकार* बनाम *श्रीमती ज्योति बाला चक्रवर्ती* (16) का मानना है कि संहिता की धारा 107 (2) के आधार पर अपील के ज्ञापन के संदर्भ में आदेश 7, नियम 11 (सी) लागू होता है।.

8. दूसरी तरफ अखाराजू नारायण राव *बनाम* मद्रास उच्च न्यायालय *है।अक्काराजू शेषम्मा और अन्य* (17), *पामिडिमकुक्कल सीथारमैया और अन्य* वी। *ल्यातुरी*

1. ए.आई.आर. 1954 बॉम्बे 43.
2. A.I.R. 1939 Patna 83.
3. A.I.R. 1939 Patna 137.
4. A.I.R. 1939 Patna 432.
5. A.I.R. 1941 Patna 108.
6. A.I.R. 1957 Patna 111.
7. ए.आई.आर. 1930 अवध 104.
8. ए.आई.आर. 1935 अवध 119.
9. ए.आई.आर. 1937 अवध 414.
10. ए.आई.आर. 1970 त्रिपुरा 26.
11. ए.आई.आर. 1915 मद्रास 426.

रमैया और एक अन्य (18), एस *वाजिद अली* बनाम *इलाहाबाद उच्च न्यायालयइसार*

बानो (19), राम मूर्ति और अन्य मामले में पेप्सू उच्च न्यायालय *बैंक ऑफ पटियाला* (20), राजस्थान उच्च न्यायालय *अमर सिंह* बनाम *राजस्थान उच्च न्यायालयचतुर्भुज* और अन्य (21), जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय में *कलेक्टर, भूमि अधिग्रहण और एक अन्य दीना नाथ महाजन और अन्य (22), और* काजी मुकर्रम खान, काजी अब्दुल वबाब खान और एक अन्य *मामले* में न्यायिक आयुक्तों की अदालतें *एस हरदीत सिंह, आदि।* (23), भारत संघ में न्यायिक आयुक्त की अदालत बनाम *संसार चंद* (24), आत्माराम में न्यायिक आयुक्त की अदालत *और अन्य सिंघई कस्तूरचंद और अन्य* (25) और पुष्कर नारायण में न्यायिक आयुक्त की अदालत *चांद बिहारी लाल घिसूलाल और एक अन्य* (26), सभी का मानना है कि सिविल प्रक्रिया संहिता का आदेश 7, नियम 11 (सी) वाद में वाद-विवाद तक ही सीमित है और अपीलीय मंच पर लागू नहीं होता है।

9.तथापि, जहां तक इस क्षेत्राधिकार का संबंध है, ऐसा प्रतीत होता है कि पूर्ववर्ती लाहौर उच्च न्यायालय और इस उच्च न्यायालय दोनों में ही स्पष्ट और अटूट उदाहरण रहे हैं और वे लगातार यह मानते रहे हैं कि संहिता का आदेश 7, नियम 11(ग) अपीलों के ज्ञापनों पर लागू नहीं होता है। जैसा कि पहले देखा गया था, विवाद वर्तमान 'नागरिक प्रक्रिया संहिता' के प्रवर्तन से भी आगे तक जाता है, लेकिन लाहौर के मुख्य न्यायालय में पहले संहिता की संबंधित धाराओं के संबंध में अधिकारियों को नोटिस करना अनावश्यक होगा। स्वयं को वर्तमान संहिता के उपबंधों तक ही सीमित रखना उचित होगा। यहां एक विद्वान एकल न्यायाधीश बहुत पहले: गुरसरन दास बनाम *गुरसरन दास* मामले में। *जिला बोर्ड, जुलुंद्रर* (27) ने *अच्युत रामचंद्र पई के मामले* (सुप्रा) में बॉम्बे के दृष्टिकोण से असहमति व्यक्त की और मद्रास उच्च न्यायालय और अन्य उच्च न्यायालयों द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण के लिए स्पष्ट रूप से अपनी प्राथमिकता व्यक्त की। तथापि, इस मुद्दे पर राय की अधिक विस्तृत अभिव्यक्ति *बलवंत सिंह बनाम बलवंत सिंह* मामले *में खंडपीठ की है।जगजीत, सिंह* (28)। इस उच्च न्यायालय के भीतर भी विचार है

1. ए.आई.आर. 1938 मद्रास 316.
2. ए.आई.आर. 1951 64 (एफ.बी.)।
3. ए.आई.आर. 1951 पेप्सू 54.
4. A.I.R. 1967 Rajasthan 367.
5. ए.आई.आर., 1977, जे एंड के. 11.
6. ए.आई.आर. 1941 पेशावर 69.
7. ए.आई.आर. 1960 एच.पी.
8. ए.आई.आर. 1980 नागपुर 224.
9. ए.आई.आर. 1954 अजमेर 15.
10. एआईके 1927 लाहौर 824.

मेसर्स अजय टेक्सटाइल *और* अन्य *मामले में डिवीजन बेंच का रुख सुसंगत रहा* है। *ब्रिटिश इंडिया कॉर्पोरेशन और अन्य* (29) ने पहले के निर्णयों और सिद्धांतों की कुछ

चर्चा के बाद निम्नानुसार निष्कर्ष निकाला: –

उन्होंने कहा, 'मद्रास उच्च न्यायालय का यही रुख अपनाते हुए ताजा फैसला वरदाचारियार और पंडरंग रो, जेआई, *पामिदिमुखला सीतारामैया और अन्य* के *मामले में आया है. आई- वतुरी रमैया और अन्य,* ए.आई.आर. 1938, मद्रास 316. मद्रास उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश भी बड़ी संख्या में पिछले मामलों पर विचार करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7, नियम 11 (सी) के प्रावधान अपील पर लागू नहीं होते हैं और अपीलीय न्यायालय अपील को अस्वीकार करने का हकदार है यदि अपीलकर्ता को कम अदालत-शुल्क का भुगतान करने के लिए बुलाए बिना पूर्ण अदालत-शुल्क का भुगतान नहीं किया गया है। क्योंकि जहां तक अपील ज्ञापन का संबंध है, उस नियम में उल्लिखित आधारों पर इसे अस्वीकार करने के लिए आदेश 41, नियम 3 में स्पष्ट प्रावधान किया गया है। पक्षकारों के विद्वान वकीलों को विस्तार से सुनने के बाद और मामले पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद हम *पामिदमुखाला सीतारमैया के मामले* (सुप्रा> में मद्रास उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से सहमत हैं । धारा 107 (2) के प्रावधानों को स्पष्ट रूप से ऐसी शर्तों और सीमाओं के अधीन बनाया गया है जो 'निर्धारित की जा सकती हैं'। धारा 2 (16) में 'निर्धारित' का अर्थ 'नियमों द्वारा निर्धारित' बताया गया है। जबकि वाद से संबंधित आदेश 7 के नियम 11 में विशिष्ट प्रावधान किया गया है, संहिता के आदेश 41 में इस आशय का कोई संगत प्रावधान नहीं किया गया है, जिसमें अपील से संबंधित संपूर्ण संगत प्रक्रिया शामिल है। लाहौर उच्च न्यायालय की खंडपीठ का निर्णय जिस तर्क पर आधारित था, उससे सहमत होते हुए, हम अपीलकर्ताओं को अपील को प्राथमिकता देने के लिए सीमा की अवधि समाप्त होने के बाद अदालत-शुल्क में कमी को पूरा करने का अवसर देने के लिए बाध्य नहीं हैं, विशेष रूप से ऐसे मामले में जहां अदालत-शुल्क की मात्रा के बारे में कोई विवाद नहीं है। लेकिन अपीलकर्ताओं ने जानबूझकर इस आधार पर कम अदालत-शुल्क का भुगतान किया है कि उनके पास सीमा की अवधि के दौरान अपेक्षित अदालत-शुल्क का भुगतान करने के लिए पर्याप्त धन नहीं था। चूंकि अपील की याचिका में अपेक्षित अदालत-शुल्क का वहन नहीं किया गया था, इसलिए इस मामले में वास्तव में कोई उचित अपील दायर नहीं की गई है ।

(29) 1970 (2) I.L.R. Pb. & Haryana 127.

उपरोक्त दृष्टिकोण का अनुसरण तब जबर सिंह बनाम *भारत मामले में एकल पीठ के फैसले में किया गया* है। *शादी* (30), जिसे जबर सिंह बनाम जबर सिंह मामले में लेटर्स पेटेंट बेंच ने बरकरार रखा है । *शादी* (31)।

10. याचिका में स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि अपीलकर्ताओं के वकील ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि वह पंजाब के मुख्य न्यायालय या लाहौर उच्च न्यायालय या इस उच्च न्यायालय के किसी भी फैसले का हवाला नहीं दे सकते हैं।.

11. उपरोक्त से यह स्पष्ट होगा कि पूर्ववर्ती लाहौर उच्च न्यायालय और इस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में भी, न्यायिक राय अब तक इस बिंदु पर असहमति के संकेत के बिना एकमत रही है कि आदेश 7, नियम 11, सिविल प्रक्रिया संहिता, अपील ों के ज्ञापनों पर लागू नहीं होती है। सिविल प्रक्रिया संहिता लागू होने के बाद से 72 वर्षों से तर्क की रेखा अटूट रही है। अब अन्य बातों के अलावा, हम *कानून* में असहमति के किसी भी नोट को शामिल करने का कोई कारण नहीं देखते हैं, जो सौभाग्य से इस अधिकार क्षेत्र के भीतर सुलझा हुआ है। जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, ऐसा नहीं है कि इस मुद्दे पर अन्य उच्च न्यायालयों में कोई सर्वसम्मति है और वास्तव में, जैसा कि वर्तमान में सलाह दी गई है, प्राधिकार का भार उस दृष्टिकोण के पक्ष में झुका हुआ प्रतीत होता है जिसे हम लेने के इच्छुक हैं। यह अच्छी तरह से तय है कि अधिकार क्षेत्र में लंबे समय से चले आ रहे दृष्टिकोण को पेटेंट आधार के अलावा परेशान नहीं किया जाना चाहिए कि यह या तो स्पष्ट रूप से गलत है या इस तरह का है कि इसका पालन करना एक त्रुटि को बढ़ावा देना होगा और इसके परिणामस्वरूप सार्वजनिक शरारत होगी। यह वास्तव में यहां मामला होने से बहुत दूर है और इसलिए, अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत पर हम इस न्यायालय के भीतर और लाहौर के पूर्ववर्ती न्यायालय में भी लंबे समय से चली आ रही राय के अनुरूप होने के इच्छुक हैं।

12.अब, *घूरने का सिद्धांत* इतना अच्छी तरह से जाना जाता है कि या तो सिद्धांत पर किसी भी महान विस्तार की मांग करता है या किसी भी प्राधिकरण की बहुलता का समर्थन मांगता है। यह याद रखना पर्याप्त होगा कि मात्र 20 वर्ष पुरानी मिसाल की एक पंक्ति के संबंध में भी मुखर्जी जे. ने केदार नाथ हाजरा मामले में खंडपीठ की ओर से बोलते हुए कहा था । *महाराजा मणींद्र चंद्र नंदी* (32), निम्नानुसार देखे गए: –

> पीठ ने कहा, "अगर मामला *सुदृढ़* होता तो हम शायद अपीलकर्ता की ओर से दिये गये विचार को स्वीकार कर लेते । लेकिन

30.1975 पी.एल.आर.
31.1978 पी.एल.आर.
32.5 भारतीय मामले 309 (310)।

जब हम याद करते हैं कि इनमें से पहले मामले, जिसका हमने उल्लेख किया है, 1891 में तय किया गया था और तब से इस न्यायालय में कई मामलों में समान रूप से पालन किया गया है, तो हमें लगता है कि हमें समय के साथ इससे असहमति नहीं करनी चाहिए। न्यायालयों को हमेशा उन निर्णयों को खारिज करने में संकोच करना चाहिए जो स्पष्ट रूप से गलत और शरारतपूर्ण नहीं हैं, जिन्हें कई वर्षों से चुनौती नहीं दी गई है और जो उनकी प्रकृति से संपत्ति के अधिकारों से संबंधित मामलों में समुदाय के एक बड़े हिस्से के आचरण को प्रभावित कर सकते हैं।

उपरोक्त टिप्पणियों को त्रिबानी प्रसाद सिंह और अन्य *मामले में पूर्ण पीठ द्वारा अनुमोदन के साथ उद्धृत किया गया था* । *रामसराय प्रसाद चौधरी और अन्य*(33)।

13.मद्रास उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने सी में इस नियम के एक और तथ्य पर प्रकाश डाला। *वरदराजुलु नायडू* बनाम *बेबी अम्मल और एक अन्य* (34), निम्नलिखित निष्कर्ष के साथ:

"अस्थिर सुसंगत न्यायिक राय की बुराई खराब कानून को निर्धारित करने की बुराई से कहीं अधिक होगी। जहां तक संभव हो, पूर्ण पीठ के फैसलों को बाध्यकारी माना जाना चाहिए, जब तक कि वे इतने खराब न हों कि वे किसी भी क़ानून या सुप्रीम कोर्ट जैसी उच्च अदालत के किसी भी फैसले के अनुरूप न हों।

14.अंत में, इस संदर्भ में मगनलाल छगन-लाल (पी) लिमिटेड *से खन्ना जे. के इस कथन को उद्धृत किया जा सकता है कि उन्होंने पहले की मिसाल को आसानी से पलट* दिया। बहुत। *ग्रेटर बॉम्बे और अन्य के नगर निगम*(35)।

"जहां तक इस न्यायालय के पिछले दृष्टिकोण को पलटने का सवाल है, इस तरह के उलटफेर का सहारा केवल निर्दिष्ट आकस्मिकताओं में लिया जाना चाहिए। यह शायद एक व्यापक प्रस्ताव के रूप में निर्धारित किया जा सकता है कि एक दृष्टिकोण जिसे लंबे समय से स्वीकार किया गया है, उसे तब तक परेशान नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि न्यायालय सकारात्मक रूप से यह नहीं कह सकता कि यह गलत या अनुचित था या यह सार्वजनिक कठिनाई या असुविधा के लिए उत्पादक है।

30. A.I.R. 1921 Patna 241.
31.ए.आई.आर. 1964 मद्रास 448.
32.ए.आई.आर. 1974 एस.सी. 2009.

15.इसलिए, मेरा विचार है कि कई विचारों में से एक भी, जो संभवतः किसी को अटूट दृष्टांत की लंबी कतार के विपरीत दृष्टिकोण लेने के लिए प्रेरित कर सकता है, इस संदर्भ में संतुष्ट नहीं है। इसलिए, इस अधिकार क्षेत्र के भीतर स्थापित कानून का पालन करते हुए हम इस निर्णय के आरंभ में पूछे गए प्रश्न का उत्तर नकारात्मक में देंगे और यह कहेंगे कि आदेश '7 सिविल प्रक्रिया संहिता के नियम 11 का उप-नियम (सी) अपील ज्ञापन के मामले में लागू नहीं होता है।

16.इस फैसले से अलग होने से पहले इस संदेह को दूर करना आवश्यक लगता है कि गुरदयाल सिंह बनाम मस्सा सिंह और अन्य (सुप्रा) *और जोबर सिंह बनाम शादी* (सुप्रा) *में इस न्यायालय की खंडपीठ के फैसलों में कोई विरोधाभास है* । *गुरदयाल सिंह के* मामले (सुप्रा) में डिवीजन बेंच ने एक तरह से विस्तृत संदर्भ आदेश को अपनाया था और इसे उसके समक्ष रखे गए प्रश्न के संबंध में फैसले का एक अभिन्न अंग बना दिया था। इसमें प्रश्न मुख्य रूप से सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 148 और 149 के दायरे और प्रयोज्यता के संबंध में था। फैसले के विश्लेषण से पता चलता है कि संदर्भ आदेश में वस्तुतः पूरी चर्चा उक्त धाराओं के प्रावधानों और उनके संबंध में निर्णयों के आसपास केंद्रित थी। तथापि, यह देखा गया कि इस मामले की दूसरे दृष्टिकोण से भी जांच की जा सकती है और यह देखा गया कि कई उच्च न्यायालयों (जैसा कि यहां पहले की चर्चा से स्पष्ट है) का विचार था कि सिविल प्रक्रिया संहिता का आदेश 7, नियम 11 (सी) अपील ों के ज्ञापनों पर भी लागू होता है। संदर्भ ति आदेश में यह स्पष्ट शब्दों में देखा गया कि लाहौर उच्च न्यायालय के साथ-साथ इलाहाबाद और मद्रास उच्च न्यायालयों का दृष्टिकोण इसके विपरीत था। चूंकि मुद्दा सीधे मुद्दे में नहीं था, वकील ने उस स्तर पर *मैसर्स, अजय टेक्सटाइल और अन्य के मामले* में इस न्यायालय के खंडपीठ के फैसले का हवाला नहीं दिया और इसलिए, यह देखा गया कि हमारे अपने न्यायालय के किसी भी निर्णय को ध्यान में नहीं लाया गया था। चूंकि यह *मुद्दा गुरदयाल सिंह के मामले* में पूरी तरह से एक सहायक मुद्दा था, इसलिए सभी अधिकारियों का हवाला नहीं दिया गया था और इसलिए, इसमें पारित टिप्पणी कि प्राधिकरण का भार अपीलीय मंच पर आदेश 7, नियम 11 (सी) को लागू करने के पक्ष में था, अब सही स्थिति का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। यह उस स्थिति में था कि संदर्भ आदेश में यह देखा गया था कि यदि बॉम्बे और पटना के विचारों को सही ठहराया जाता है, तो अपील के ज्ञापन पर अदालत-शुल्क की कमी की अनुमति देने की प्रारंभिक आपत्ति पूरी तरह से योग्यता से रहित होगी। यह स्पष्ट है कि लाहौर उच्च न्यायालय की खंडपीठ के विपरीत एक अकेले बैठकर विचार नहीं लिया जा सकता था और उसके बाद से

ये टिप्पणियां संदर्भ के क्रम में की गई थीं, जो केवल मामले को उसके सभी कोणों से एक बड़ी पीठ द्वारा विचार के लिए प्रस्तुत करने के लिए की गई थीं। अब *गुरदयाल सिंह के मामले* में डिवीजन बेंच के फैसले का संदर्भ देने से पता चलता है कि यह अपील ◌ें के ज्ञापन के आदेश 7, नियम 11 (सी) की प्रयोज्यता या अन्यथा के सवाल पर बिल्कुल भी प्रतिकूल नहीं था। वास्तव में इसके संदर्भ का एक शब्द भी स्पष्ट रूप से या निहित नहीं है। पीठ ने खुद को विशेष रूप से सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 149 तक सीमित रखा और इस बिंदु पर लाहौर उच्च न्यायालय और हमारी अपनी अदालत के पहले के एकल पीठ के फैसलों को खारिज कर दिया। ऐसा होने पर यह स्पष्ट होगा कि *गुरदयाल सिंह* के मामले में डिवीजन बेंच के फैसले और जबर सिंह के *मामले (सुप्रा)* में डिवीजन बेंच के फैसले में की गई टिप्पणियों में कोई विरोधाभास या मतभेद नहीं है।

17.उपरोक्त पैराग्राफ 15 में कानून के प्रश्न के उत्तर के प्रकाश में, मामले को अब गुण-दोष के आधार पर निर्णय के लिए विद्वान एकल न्यायाधीश के पास वापस जाना चाहिए। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

राजेंद्र नाथ मित्तल, न्यायाधीश—मैं सहमत हूँ।

गोकलचंद मित्तल, न्यायाधीश.—मैं सहमत हूँ।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

लक्ष्य गर्ग
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
चरखी दादरी , हरियाणा